कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित्
"वन धन भवन"
सेक्टर-24, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)
E-mail: mfpfed.cg@nic.in ☎ (0771) 2513100 Website: www.cgmfpfed.org

क्रमांक/ MFP 01/01 /स्था.-/2021/ 15105 A नवा रायपुर, दिनांक 24 /12/2021

# // विस्तृत विज्ञापन //

VYAPAM Manthan www.vyapammanthan.com

1. छत्तीसगढ़ शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 12-2/2006/10-1/ वन दिनांक 03.11.2020 के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित में स्वीकृत पद संरचना अनुसार सहायक ग्रेड-03, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर एवं आंतरिक अंकेक्षक के रिक्त पदों पर भर्ती की अनुमति प्रदान की गई है ।
2. छत्तीसगढ़ शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 12-2/2006/10-1/ वन दिनांक 27.05.2021 के द्वारा उक्त पदों की पूर्ति व्यावसायिक परीक्षा मंडल के माध्यम से करने की अनुमति प्रदान की गयी है ।

अतः छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित अंतर्गत सहायक ग्रेड-03, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर एवं आंतरिक अंकेक्षक के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित में लागू "कर्मचारी, भर्ती, वर्गीकरण तथा सेवा शर्तें नियम वर्ष 1994" में उल्लेखित शर्तों एवं प्रक्रिया अनुसार छत्तीसगढ़ के मूल निवासी पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 29.12.2021 से 18.01.2022 (मंगलवार) रात्रि 11:59 बजे तक छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर की वेबसाईट **http://vyapam.cgstate.gov.in/** पर आमंत्रित किये जाते है ।

(अ) उपरोक्त परीक्षा आयोजन हेतु कार्यक्रम निम्नानुसार है :-

| | |
|---|---|
| 1. परीक्षा की तिथि (संभावित) | - 06 फरवरी 2022 (रविवार) । |
| 2. ऑनलाईन आवेदन भरने की प्रांरभिक तिथि | - दिनांक 29.12.2021 (बुधवार) । |
| 3. ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि | - 18.01.2022 (मंगलवार) रात्रि 11:59 बजे तक । |
| 4. त्रुटि सुधार हेतु आवेदन | - दिनांक 19.01.2022 से 21.01.2022 तक । |
| 5. परीक्षा का समय - | |
| I. सहायक ग्रेड-03 एवं डाटा एन्ट्री ऑपरेटर | - पूर्वान्ह 09:00 बजे से 12:15 बजे तक । |
| II. आंतरिक अंकेक्षक | - अपरान्ह 02:00 बजे से 05:15 बजे तक । |
| 6. परीक्षा केन्द्र | - प्रदेश के 05 संभागीय मुख्यालयों में । |

C:\Users\LENOVO\Desktop\@RUPESH@\Advt CGVYAPAM.doc

**(ब)** रिक्त पदों की वर्गवार संख्या एवं वेतनमान विवरण :-

| क्र. | पद का नाम | कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या | | | | कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल महिलाओं के लिए आरक्षित पद | | | | कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से भूतपूर्व सैनिकों के लिए वर्गवार आरक्षित पद | | | | कुल रिक्तियों में से निःशक्तजनों के लिए आरक्षित पद | योग | वेतन मैट्रिक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | अना. | अ. जा. | अ. ज. जा. | अ. पि. व. | अना. | अ. जा. | अ. ज. जा. | अ. पि. व. | अना. | अ. जा. | अ. ज. जा. | अ. पि. व. | | | |
| 1 | आंतरिक अंकेक्षक | 02 | - | 01 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 04 | 28700/- लेवल-7 |
| 2 | डाटा एन्ट्री ऑपरेटर | - | - | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01(HH) | 02 | 25300/- लेवल-6 |
| 3 | सहायक ग्रेड-3 | 08 | 03 | 08 | - | 02 | - | 02 | - | - | - | - | - | - | 19 | 19500/- लेवल-4 |
| | कुल योग | | | | | | | | | | | | | | 25 | |

**3. अनिवार्य अर्हतायें -**

**अ. सहायक ग्रेड-03**

I. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ वाणिज्य स्नातक, किन्तु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक अनिवार्य होगें ।

II. मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तथा

III. कम्प्यूटर में हिन्दी टायपिंग का 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)

**ब. डाटा एन्ट्री ऑपरेटर**

I. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में स्नातक उत्तीर्ण,

II. डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्षीय डिप्लोमा तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में डाटा एन्ट्री ऑपरेटर की गति 8000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटा (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)

**स. आंतरिक अंकेक्षक**

- एम.कॉम. में 60 प्रतिशत अंक (परंतु अनुसूचित जाति व जनजाति हेतु 50 प्रतिशत)

**4. आयुसीमा -**

(अ) (i) **सहायक ग्रेड-03 एवं डाटा एन्ट्री ऑपरेटर** के पद हेतु आवेदक की आयु 01.01.2022 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिये ।

(ii) **आंतरिक अंकेक्षक** के पद हेतु आवेदक की आयु 01.01.2022 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिये ।

छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय नया रायपुर के ज्ञापन क्र.-एफ3-2/2015/1-3 नया रायपुर दिनांक 30.01.2019 के अनुसार छ.ग. राज्य के मूल निवासियों को सीधी भर्ती के पदों में निर्धारित अधिकतम आयु 35 वर्षों में 5 वर्ष की छूट कैलेण्डर वर्ष 01.01.2019 से 31.12.2023 की समाप्ति तक प्रदान की गई है ।

(ब) निम्नलिखित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट मिलेगी :-

(i) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट ।

(ii) अन्य पिछडा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट ।

(iii) महिला उम्मीदवारों को अधिकतम आयु में 10 वर्ष की छूट ।

(iv) छत्तीसगढ़ राज्य/निगम/मंडल/संघ के स्थायी/अस्थायी कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष होगी ।

(v) कार्यभारित कर्मचारियों, आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति में नियोजित व्यक्तियों सहित ऐसा अभ्यर्थी जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिए आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये ।

(vi) ऐसा अभ्यर्थी जो "छंटनी किया गया शासकीय सेवक या संघ का सेवक" हो, उसे अपनी आयु में से पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 (सात) वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो ।

(vii) अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अधीन पुरस्कृत दम्पतियों के सवर्ण पति/पत्नि के संबंध में उच्चतर आयुसीमा 05 वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(viii) शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान एवं महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(ix) शिक्षाकर्मियों को अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्षो की छूट होगी, जितने वर्ष उसने शिक्षाकर्मी के रूप में सेवा की है । यह छूट अधिकतम 45 वर्ष की आयुसीमा तक प्राप्त होगी । इसके लिये 06 माह से अधिक के लिये एक वर्ष सेवा मानी जावेगी ।

(x) संविदा पर नियुक्त अभ्यर्थियों को उतने वर्ष की छूट प्रदान की जावेगी, जितने वर्ष की उसने संविदा के रूप में सेवा की है । यह छूट अधिकतम 38 वर्ष की आयुसीमा तक होगी ।

**(महत्वपूर्ण टीपः- सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी । आयु की पुष्टि मूल अभिलेखों से परीक्षण के दौरान 10वीं की मार्कशीट द्वारा की जावेगी। यदि आवेदक द्वारा गलत जानकारी प्रस्तुत किया जाना पाया गया तो उसकी उम्मीदवारी निरस्त मानी जावेगी।)**

**5. नियम एवं शर्तें :-**

1. उक्त पदों पर चयन हेतु एक लिखित परीक्षा एवं कौशल परीक्षा छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा आयोजित की जावेगी । परीक्षा उपरांत मेरिट सूची जारी की जावेगी ।
2. अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है । इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।



VYAPAM Manthan www.vyapammanthan.com

VYAPAM Manthan
www.vyapammanthan.com

3. चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित के पास सुरक्षित रहेगा ।
4. चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति के समय समस्त प्रमाण पत्र की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । सत्यापन उपरांत ही नियुक्ति आदेश जारी किया जावेगा ।
5. यदि किसी भी आरक्षित अथवा अनारक्षित वर्ग में महिलाओं के लिये उपरोक्तानुसार आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव के कारण चयन न होने से रिक्त रह जाते है तो ऐसे रिक्त पद अग्रणीत नहीं किये जायेंगे, वरन उसी प्रवर्ग के पुरूष अभ्यर्थी के चयन द्वारा भरे जायेंगें, जिस प्रवर्ग के लिये वह पद आरक्षित है ।
6. निःशक्तजन हेतु आरक्षित पद के विरूद्ध सामान्य, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमी लेयर को छोड़कर) में से जिस श्रेणी का आवेदक होगा उसे होरिजोण्टल आरक्षण के कारण उस श्रेणी के अंतर्गत माना जायेगा ।
7. कोई भी अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से 01 का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा ।
8. कोई भी अभ्यर्थी जिसने विवाह के लिये नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा ।
9. कोई भी पुरूष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों, और कोई भी महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगें ।
10. अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरूद्ध अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा ।
11. चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति छ.ग. शासन वित्त निर्देश 21/2020 दिनांक 29.07.2020 के अनुसार 03 वर्ष की परिवीक्षा पर की जायेगी । परिवीक्षा अवधि में निम्नानुसार स्टायपेण्ड देय होगा ।
    (i) प्रथम वर्ष - उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70%
    (ii) द्वितीय वर्ष - उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80%
    (iii) तृतीय वर्ष - उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90%
    परन्तु परिवीक्षा अवधि में स्टाइपेंड के साथ अन्य भत्ते कार्यरत अन्य कर्मियों की तरह ही प्राप्त होंगे । परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर जब वह सेवा या पद पर स्थायी किया जाता है, जब कर्मी का वेतन उस सेवा या पद पर लागू वेतनमान का न्यूनतम नियत किया जायेगा ।
12. समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियें की जन्मतिथि को आधार मानकर वरीयता तय की जावेगी ।
13. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी, कि वे आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं को रखता हो ।
14. शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालयें में कार्यरत कर्मचारियों के चयन की स्थिति में नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र मूल रूप से प्रस्तुत करना होगा ।

6. **महत्वपूर्ण टीप :-**

1. विज्ञापित पदों की संख्या कम या ज्यादा हो सकती है, जिसके लिये कोई दावा मान्य नहीं होगा ।
2. भर्ती की कार्यवाही एवं प्रक्रिया प्रशासकीय कारणों से कभी भी प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित द्वारा निरस्त किया जा सकेगा । इसके लिये कोई कारण बताना आवश्यक नहीं होगा ।

3. लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा शहर/केन्द्र तक जाना होगा, इसके लिए यात्रा व्यय नहीं दिया जाएगा ।
4. विज्ञापन में उल्लेखित रिक्त पदों का प्रवर्गवार आरक्षण माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा याचिका क्रमांक रिट पिटीशन क्रमांक (सी) 591/2012, 592/2012, 593/2012, 594/2012 में पारित किये जाने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्यधीन होगी । विस्तृत विज्ञापन परीक्षा पाठ्यक्रम परीक्षा तिथि, परीक्षा संचालन ऑनलाईन आवेदन एवं शुल्क भुगतान की विधि तथा अन्य जानकारी व्यावसायिक परीक्षा मंडल की वेबसाइट **http://vyapam.cgstate.gov.in/** पर देखा जा सकता है ।
5. पंजीकृत डाक एवं स्पीडपोस्ट से भेजे जाने वाले आवेदन मान्य नहीं किये जावेंगे ।

7. **परीक्षा निर्देश** - व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा जारी परीक्षा निर्देश व्यावसायिक परीक्षा मंडल की वेबसाइट **http://vyapam.cgstate.gov.in/** पर उपलब्ध है, जिसमें ऑनलाईन आवेदन का प्रारूप, आवेदन पत्र भरने की विधि, आवेदन पत्र में फोटो, हस्ताक्षर एवं बाए हाथ के अंगूठे का निशान स्केन करने एवं पोस्ट करने की विधि, ऑनलाईन की विधि, अभ्यर्थी को प्राप्त रजिस्ट्रेशन आई.डी. नंबर के आधार पर ऑनलाईन एडमिड कार्ड प्राप्त करने की विधि तथा जानकारियां दी गई है ।

**कार्यकारी संचालक**
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ रायपुर

VYAPAM
Manthan
www.vyapammanthan.com



VYAPAM Manthan www.vyapammanthan.com